

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-275) अलेसे-I/398

दिनांक:- 29/06/2016

कार्यालय आदेश

विभागीय सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक एफ.2 (क)(सेवानिवृत्त) अलेसे-I/9897-10195 दिनांक 06.11.2015 आदेश संख्या 125/2015-16 द्वारा क्रम संख्या 132 पर अंकित श्री भगवानाराम जोशी(लिंग नं. 1040) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 28.02.2017 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री भगवानाराम जोशी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-275) अलेसे-I/398

दिनांक:- 29/06/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, बीकानेर।
4. श्री भगवानाराम जोशी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I कार्यालय - आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एंट्री करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/वरिष्ठता शीट/पदस्थापन सीट।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)